राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक : अधि0'क' / (149 –अ0पि0वर्ग) / 2012– 83 दिनांक 16/01/ ,2012

1–श्री प्रभांशु कुमार श्रीवास्तव, उपनिदेशक (प्र / वि),
(अलीगढ़ सम्भाग)
2–श्री बंश गोपाल मौर्या, उपनिदेशक (प्र / वि),
(वाराणसी सम्भाग)
3–श्री शमीम अंसारी, उपनिदेशक (प्र / वि),
(फैजाबाद सम्भाग)
4–श्री एम0के0एस0 सचान, उपनिदेशक (प्र / वि),
(बस्ती सम्भाग)
5–श्री कौशल किशोर सिंह, उपनिदेशक (प्र / वि),
(आजमगढ़ सम्भाग)
6–श्री मूल चन्द गंगवार, उपनिदेशक (प्र / वि),
(गोरखपुर सम्भाग)
7–श्री अरूण कुमार शर्मा, उपनिदेशक (प्र / वि),
(लखनऊ सम्भाग)
8–श्री बृजेश कुमार, उपनिदेशक (प्र / वि),
(बरेली सम्भाग)
9–श्री यादराम सिंह वर्मा, उपनिदेशक (प्र / वि),
(मुरादाबाद सम्भाग)
10–श्री नरेन्द्र कुमार मलिक, उपनिदेशक (प्र / वि),
(सहारनपुर सम्भाग)

विषय: राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी विशेष अपील संख्या 910 / 2005 संजीव कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के सम्बन्ध में विवरण / सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक परिषद पत्रांक अधि0'क' / 1721 दिनांक 20.09.2011 पत्रांक 1823 दिनांक 04.10.2011 पत्रांक 2029 दिनांक 15.11.2011 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके कम में मेरठ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, झॉसी, लखनऊ, बस्ती फैजाबाद, सहारनपुर, वाराणसी आजमगढ़ द्वारा सूचनाएँ प्रेषित की गयी हैं, जिनके परीक्षण में निम्न त्रुटियॉ पायी गयी हैं :–

कमांक	सम्भाग का नाम	मण्डी परिषद की सूचना प्राप्त / अप्राप्त	मण्डी समिति की सूचना प्राप्त / अप्राप्त
1.	लखनऊ	अप्राप्त	प्राप्त, किन्तु निर्धारित प्रारुप पर नहीं
2.	बरेली	अप्राप्त	अप्राप्त
3.	सहारनपुर	**प्राप्त**	अप्राप्त
4.	फैजाबाद	अप्राप्त	**प्राप्त**
5.	आजमगढ़	**प्राप्त**	अप्राप्त
6.	अलीगढ़	अप्राप्त	अप्राप्त
7.	गोरखपुर	अप्राप्त	अप्राप्त
8.	बस्ती	अप्राप्त	**प्राप्त**
9.	वाराणसी	**प्राप्त**	अप्राप्त
10.	मुरादाबाद	अप्राप्त	अप्राप्त

शासन के पत्र संख्या 1680 / 80–1–2011 दिनांक 20.10.2011 के साथ संलग्न प्रारूप–2 पर समूहवार सूचना संकलित कर पत्र निर्गत होने के 03 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अधीनस्थ मण्डी समितियों व सम्भाग कार्यालय में कार्यरत पूर्ण कालिक अधिकारियों / कर्मचारियों की सूचना पृथक–पृथक प्रेषित की जाये। चूँकि प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका से आच्छादित है। अतः इसमें शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।. अन्यथा की स्थिति में बिना किसी बचाव का अवसर दिये चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की जायेगी।

13/1/12

(बीरेश कुमार)
मण्डी निदेशक

संख्या–1680/80–1–2011

प्रेषक,

गया प्रसाद कमल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
मण्डी परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 20 अक्टूबर, 2011

विषयः– राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी विशेष अपील संख्या–910/2005 संजीव कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के संबंध में विवरण/सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रॉक–7557/254–मूल्यां0–वि0अ0–27–14–2008/2011,दिनांक 13–10–2011(छायाप्रति संलग्न)का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सचिव, राज्य पिछडा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त पत्र दिनांक 13–10–2011 में यह इंगित है कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद की सूचना में जातिवार संख्या की सूचना उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में उनके द्वारा उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रारूप 1 व 2 पर स्पष्ट सूचना उन्हें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः कृपया अपेक्षित सूचना निर्धारित प्रारूप पर सचिव, राज्य पिछडा वर्ग आयोग को तत्काल उपलब्ध कराते हुए शासन को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त

भवदीय,

(गया प्रसाद कमल)
उप सचिव

संख्या–1680(1)/80–1–2011 तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि सचिव, राज्य पिछडा वर्ग आयोग, उ0प्र0 तृतीय तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 13–10–2011 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(गया प्रसाद कमल)
उप सचिव।

836
24/10

24.10.11

300
31/10/11

28/10/11

मा0 उच्च न्यायालय में लंबित याचिका से आच्छा।
पत्रांकः 1557/254—मूल्यां0—वि0अ0—27—14—2008

प्रेषक,

सचिव
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ0प्र0,
तृतीय तल, इन्दिरा भवन,
अशोक मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

विशेष सचिव/नोडल अधिकारी
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग,
कक्ष संख्या—17, बहुखण्डी भवन,
उ0प्र0 शासन।

लखनऊः दिनांकः 13/10/11

विषयः राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी विशे अपील संख्याः 910/2005 संजीव कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध विवरण/सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयोग के पत्र संख्या—5552/254—मूल्यां0—वि0अ0—27—14—2008/201 दिनांक—12.08.2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के क्रम में कृषि विपणन एवं कृषि विदे व्यापार निदेशालय की स्पष्ट सूचना प्राप्त हो गयी है, परन्तु राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद की सूचना जातिवार संख्या की सूचना उपलब्ध नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद की स्पष्ट सूचना संलग्न प्रारूप— व 2 पर शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 उच्च न्यायालय में सूचना/विवरण को योजित करा जा सके।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
(वी0के0 यदुवंशी)
सचिव
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ0प्र0

संख्या व दिनांक तदैवः—

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सूचना एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वी0के0 यदुवंशी)
सचिव
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ0प्र0

प्रपत्र–2

राज्याधीन सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गो की जातिवार प्रतिनिधित्व का विवरण

विभाग का नामः–

कम संख्या	जाति का नाम	समूह''क''	समूह''ख''	समूह''ग''	समूह''घ''
01	अहीर, यादव, यदुवंशीय, ग्वाला				
02	अरख, अर्कवंशीय				
03	काछी, काछी–कुशवाहा, शाक्य				
04	कहार, कश्यप				
05	केवट या मल्लाह, निषाद				
06	किसान				
07	कोइरी				
08	कुम्हार, प्रजापति				
09	कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी–मल्ल, कुर्मी–सैंथवार				
10	कम्बोज				
11	कसगर				
12	कुजड़ा या राईन				
13	गोसाई				
14	गूजर				
15	गड़ेरिया, पाल और बघेल				
16	गद्दी, घोसी				
17	गिरि				
18	चिकवा, करसाव, कुरैशी, चक				
19	छीपी, छीपा				
20	जोगी				
21	झोजा				
22	डफाली				
23	तमोली, बरई, चौरसिया				
24	तेली, समानी, रोगनगर, साहू, रौनियार, गन्धी, अर्राक				
25	दर्जी, इदरीसी, काकुस्थ				
26	धीवर				
27	नक्काल				
28	नट (जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल न हो)				
29	नायक				
30	फकीर				
31	बंजारा, रंकी, मुकेरी, मुकेरानी				
32	बढ़ई,बढई–शैफी ,विश्वकर्मा ,पांचाल, रमगढ़िया, जांगिड़, धीमान				
33	बारी				
34	बैरागी				
35	बिन्द				
36	बियार				
37	भर, राजभर				
38	भुर्जी या भड़भूजा, भूंज, कांदू, कसौधन				
39	भठियारा				
40	माली, सैनी				

	मनिहार, कचेरा, लखेरा				
42	मुराव या मुराई, मौर्य				
43	मोमिन (अन्सार)				
44	मिरासी				
45	मुस्लिम कायस्थ				
46	नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डेरे, कड़ेरे, करण (कर्ण)				
47	मारछा				
48	रंगरेज, रंगवा				
49	लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी--राजपूत				
50	लोहार, लोहार–सैफी				
51	लोनिया, नोनिया, गोले–ठाकुर, लोनिया–चौहान				
52	सेनार, सुनार, स्वर्णकार				
53	स्वीपर (जो अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित न हो), हलालखोर				
54	हलवाई, मोदनवाल				
55	हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास				
56	राय सिक्ख				
57	सक्का–भिश्ती, भिश्ती--अब्बासी				
58	धोबी (जो अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित न हो)				
59	कसेरा, ठठेरा, ताम्रकार				
60	नानबाई				
61	मीर–शिकार				
62	शेख सरवरी (पिराई), पीराही				
63	मेव, मेवाती				
64	कोष्टा / कोष्टी				
65	रोड़				
66	खुमरा, संगतराश, हंसीरी				
67	मोची				
68	खागी				
69	तंवर, सिंघाड़िया				
70	कतुआ				
71	माहीगीर				
72	दांगी				
73	धाकड़				
74	गाड़ा				
75	तंतवा				
76	जोरिया				
77	पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी				
78	जाट				
79	कलाल, कलवार, कलार				
पिछड़ी जातियों का वर्गवार योगः–					

विभागाध्यक्ष / नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)